Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

156-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018 (BHADRA 23, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 सितम्बर, 2018

संख्या 10145/2018–ए०सी०एस०ए०एच०डी०.– हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन एवं डेयरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) अधिनियम, 2001 (2001 का 6) की धारा 6 की उपधारा (1) तथा इस विषय से संबंधित अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उपरोक्त उपधारा के उद्देश्य से दिनांक 04.02.2016 से दुग्ध उपकर 5 (पांच) पैसे प्रति लीटर निर्दिष्ट किया जाता है। जिन दुग्ध संयत्रों द्वारा पूर्व में ही 10 (दस) पैसे प्रति लीटर की दर से दिनांक 04.02.2016 से उपकर का भुगतान कर दिया गया है, उन द्वारा किया गया अतिरिक्त भुगतान भविष्य के संचय में समायोजित किया जाएगा। जिन दुग्ध संयत्रो द्वारा दुग्ध उपकर का भुगतान नही किया गया है, उन्हें दिनांक 04.02.2016 से 5 (पांच) पैसे प्रति लीटर की दर से देय राशि पर ब्याज/शास्ति सहित भुगतान करना होगा। दिनांक 04.02.2016 से पूर्व का भुगतान पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार ही करना होगा।

डॉ० सुनिल के० गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा।